न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– **24 / 2019**

दायर तारीख 28.01.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम

01. शंकर पिता देबी जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
02. कस्तूरी पुत्री देबी जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
03. भूली पुत्री देबी जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
04. कंवरलाल पिता छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
05. रामप्रसाद पिता छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
06. रमेशचन्द पिता छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
07. ऐजन पुत्री छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
08. अनोप पुत्री छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
09. बाली पत्नि छीतर जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– पैरोकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 17.06.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां के आराजी नम्बर 524 / 1, आराजी नम्बर 524 / 2 कुल किता 2 रकबा 30–09 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 524 / 1, आराजी नम्बर 524 / 2 कुल किता 2 रकबा 30–09 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लठ्ठा में आराजी नम्बर अंकित नही होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्ठा में तरमीम करना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षीगण रमेश, रामप्रसाद, विष्णु उपस्थित जिन्होंने जवाब में अंकित किया कि मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने में हमे कोई आपति नहीं हैं एवं न हीं भविष्य में कोई आपति की जावेंगी तरमीम कराना फरमावें। चूंकि मामला मात्र नक्शे में तरमीम सम्बन्धि हैं। तरमीम को दुरूस्त करने का अधिकार राजस्व विभाग का ही हैं।

प्रकरण का DILRMP के तहत् निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः वर्णित भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु विपक्षीगणों ने उक्तानुसार सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा भूति पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां के आराजी नम्बर 524 / 1, आराजी नम्बर 524 / 2 कुल किता 2 रकबा 30–09 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। किन्तु नक्शे में तरमीम नही होने से जहां खातेदार काबिज हैं नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक **17.06.2019** को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner